

15-5-18 पञ्जाबली राजस्व लोक अदालत समिपान
न्याय आणके इत- 2018 के अदालत सेवा
के लु बरिडी पेश इदी। प्रार्थी बाबू को
उपस्थित है। मजमें आम में सुना गया।
लोक अदालत की भावना से दि० 3-1-14 को
पारी आदेश को संशोधन करके इसे उपपन्न
के मुल काड के बिनापक लक को शरद इतल
दोष के मोले एवं फेकडेकी प्रभावत

निष्कर्ष

दिनांक ०१/०५/२०२० ई. पाठ्य क्रम
का। इस अध्याय सम्बन्धी सुझाव
लक्षितकारी हैं। पृष्ठावली केसल सुमार
द्वि नम्बर से कम है। ओर शीर्षक
में सुनाया जाय।

उप खण्ड अधिकारी
साँवर लेक

आजा य
वाही